बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा - 390 007 / **Head Office:** Alkapuri, Vadodara - 390 007.

पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(इस फॉर्म को पूरा करने से पहले कृपया पृष्ठ के पीछे छपे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)
(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

संदर्भ सं.: / Ref. No.:

फोलियो नंबर/ डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी:
Folio No. / DP ID / Client ID:

धारित शेयरों की संख्या / Number of Shares held:

मैं/ हम बैंक के पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 25-10-2019 में वर्णित कारोबार हेतु पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किया जाने वाले विशेष संकल्पों के संबंध में मेरा/ हमारा वोट का प्रयोग करता हूं, निम्नलिखित उपयोग कॉलम में (√) टिक मार्क लगाते हुए मेरी/हमारी सहमति/असहमति दर्शाता हूं.
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Notice of Postal Ballot dated 25-10-2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (√) mark at the appropriate column below:

सं. No.	मद / Item	शेयरों की संख्या जिनके लिए वोट डाले गए है No. of Shares for which votes cast	मैं/ हम संकल्पों से सहमत हैं (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	मैं/ हम संकल्पों को अस्वीकार करते हैं (विरुद्ध) I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
	विशेष संकल्प / **SPECIAL RESOLUTION**			
1.	सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के विनियम 164 के अनुरूप निर्धारित निर्गम मूल्य पर नकदी हेतु प्रीमियम सहित अधिमान्यता आधार पर समग्र रूप से रु. 7,000 करोड़ तक प्रत्येक रु.2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों को अपेक्षित संख्या में भारत सरकार हेतु सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आवंटन करना. To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs. 2/- (Rupees Two only) each to the Government of India ("GOI") aggregating upto Rs.7,000 Crore on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018.			

स्थान / Place :

दिनांक / Date :

(शेयरधारक का हस्ताक्षर / Signature of the Shareholder)

संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलेट फॉर्म की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि: **10.12.2019, सायं 5.00 बजे**.
Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer: **10.12.2019, 5.00 p.m.**

ई वोटिंग विवरण / E-VOTING PARTICULARS

EVEN (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) EVEN(E-Voting Event Number)	यूज़र आईडी / USER ID	पासवर्ड / PASSWORD

कृपया ई-वोटिंग के लिए https://evoting.karvy.com पर लॉगिन करें तथा नोटिस में उल्लेखित अनुदेशों का संदर्भ लें.
For E-Voting, please log in on https://evoting.karvy.com. and refer the instructions in the Notice attached herewith.

अनुदेश

1. पोस्टल बैलट द्वारा वोट देने को इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूरा करके इसे प्री-पेड डाक द्वारा लिफाफे में संवीक्षक को भेज दें. यदि पोस्टल बैलेट वाला लिफाफा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया है या कूरियर द्वारा सदस्य के खर्चे पर भेजा गया है, तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा.
2. यह फॉर्म शेयरधारक द्वारा पूर्ण किया गया और हस्ताक्षरित (बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) होना चाहिए. संयुक्त धारिता के मामले में, इस फॉर्म को प्रथम नाम वाले सदस्य द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में अगले नाम वाले शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए.
3. कंपनियों, ट्रस्टों, सोसायटी आदि के द्वारा शेयर धारण करने के मामले में, विधिवत भरा गया पोस्टल बैलेट फॉर्म बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ होना चाहिए. जहां इस फॉर्म को भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है वहाँ पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति को भी संलग्न किया जाना चाहिए.
4. सहमति को ''विरोध में'' वाले कॉलम में सहमति दर्ज करते हुए और ''विरोध में'' वाले कॉलम में असहमति को उपयुक्त कॉलम में टिक मार्क (√) करके दर्ज किया जा सकता है.
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म को निरस्त किया जाएगा.
6. एक शेयरधारक द्वारा सभी वोटों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है और न ही एक तरीके से सभी वोटों को डालना आवश्यक है.
7. विधिवत भरा हुआ पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक को कार्य दिवस खत्म होने से पहले अर्थात 10.12.2019 शुक्रवार को शाम 5.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए. इस तारीख के बाद प्राप्त सभी पोस्टल बैलेट फॉर्म के संबंध में यह माना जाएगा कि शेयरधारक से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है.
8. एक शेयरधारक एक दूसरी प्रति (डुप्लिकेट) पोस्टल बैलेट फॉर्म हेतु अनुरोध कर सकता है. तथापि, विधिवत भरा हुआ डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म उपरोक्त मद संख्या 7 में निर्दिष्ट तारीख तक संवीक्षक तक पहुँच जाना चाहिए.
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि संलग्न पोस्टेज प्री-पेड स्वयं का पता लिखे लिफाफे में पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ कोई अन्य कागजात न भेजें.
10. कट-ऑफ तारीख यानी 25.10.2019 को शेयरहोल्डर्स के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भुगतान किए गए मूल्य पर मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी.
11. पोस्टल बैलेट फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा.
12. पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर प्रदर्शित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा. परिणामों को कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
13. ई-वोटिंग: कंपनी अधिनियम, 108 की धारा 2013 के प्रावधानों और सेबी के विनियमन 2015 के विनियम 44 (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) के अनुपालन में, तदविषयक बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाए. बैंक को विकल्प के रूप में ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है जो शेयरधारकों को भौतिक बैलेट भेजने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाएगी. कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग वैकल्पिक है. यदि किसी शेयरधारक ने ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट किया है, तो उसे भौतिक बैलट भेजने की आवश्यकता नहीं है. यदि शेयरधारक (ओं) ने दोनों माध्यमों अर्थात भौतिक बैलट के साथ-साथ ई-वोटिंग के माध्यम से भी अपना वोट डाला, तो ई-वोटिंग को वरीयता दी जाएगी. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत अनुदेशों के लिए नोटिस और नोटों का संदर्भ लें.

INSTRUCTIONS

1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named shareholder.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorization. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (√) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. **5.00 p.m., on 10.12.2019.** All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Shareholder has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self-addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the Cut-Off date i.e. 25.10.2019.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the Voting by Postal Ballot will be announced by displaying on the Website of the Bank at www.bankofbaroda.com and will be intimated to the Stock Exchanges. The results will also be hosted on the website of the Karvy Fintech Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank at https://evoting.karvy.com.
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-Voting, then voting done through E-Voting shall prevail. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes thereto, for detailed instructions with respect to E-Voting.